बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

वाहन नीलामी सूचना

योजना एवं विकास विभाग की वाहन संख्या BR-1H/4278 एवं BR-1AL/9360 एम्बेसडर कार की नीलामी दिनांक 21.02.2017 को 3.00 बजे अपराह्न में होगी। नीलामी की शर्तो की जानकारी विभाग के वेबसाइट पर/प्रशाखा पदाधिकारी–II से प्राप्त की जा सकती है। शर्तो को संबंधित वाहन पर भी चिपका दिया गया है। परिसर में वाहन को कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

वाहन के नीलामी की शर्ते

क. वाहन की नीलामी में डाक बोलने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में 10,000/–(दस हजार) रू0 नगद जमा करना होगा।

ख. सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 50 प्रतिशत दो घंटे के अंदर जमा करना होगा। शेष राशि दो दिनों के अंदर जमा करनी होगी। डाक की रकम पर वाणिज्यकर (VAT) भी अलग से देय होगा।

ग. उच्चतम दो डाक वक्ताओं को छोड़कर शेष को उनकी प्रतिभूति की राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की पूरी राशि जमा कर देने के बाद द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को प्रतिभूति की राशि लौटायी जायेगी।

घ. डाक बोलने के क्रम में एक बार में अधिकतम 5000/–(पाँच हजार) रू0 की बोली लगानी होगी।

ङ़ नीलामी पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् ही विक्रय आदेश निर्गत किया जायेगा और तभी परिसर से वाहन हटाया जायेगा।

च. निर्धारित अवधि में डाक की राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जायेगी।

छ. सरकार को बिना कारण बताये डाक को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ज. विशेष जानकारी योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय, पुराना सचिवालय), पटना के प्रशाखा पदाधिकारी–II से प्राप्त की जा सकती है।

19.1.2017

(राजीव कुमार)
उप निदेशक (लेखा)